

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-364 / 07
संस्थापित दिनांक-20.08.2007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- त्रिलोक सिंह पुत्र चन्दन सिंह उम्र 53 साल 2- गुड्डीबाई पत्नी त्रिलोक सिंह उम्र 49 साल 3- जुगराज पुत्र प्यारेलाल उम्र 80 साल 4- विनीता पत्नी लाखन सिंह उम्र 32 साल निवासी-ग्राम चुरारी थाना चन्देरी जिला- अशोकनगर।आरोपीगण

-: निर्णय :-
(आज दिनांक 20.03.2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 294, 323/34, 324/34, 506 भाग दो/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 14.06.2017 को 11 बजे ग्राम चुरारी में आरोपी के मकान के सामने फरियादी दुर्गाबाई का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा दुर्गाबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी दुर्गाबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी दुर्गाबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया दुर्गाबाई ने मय हमराही अपने बच्चे भानूप्रताप के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 14.06.2007 को करीब 11:00 बजे की बात है कि फरियादिया दुर्गाबाई अपने घर से चंदेरी सरवैया बाबू को पैसे सिंचाई के जमा करने चंदेरी आ रही थी, जैसे ही वह त्रिलोक के मकान के पास पहुँची तो बच्चे खेल रहे थे। एक लड़की ने ईट फेंकी जिसका टुकड़ा उसे लगा। उसने त्रिलोक की लड़की से कहा कि देखकर पत्थर फेंका करो। इसी बात पर त्रिलोक आया और उसे मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगा और कहने लगा अब वह मारेगा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर मार दी जो सिर में लगी चोट होकर खून निकल आया। जुगराज ने उसे लाठियों से मारपीट की जिससे उसे सिर में बायें तरफ भुजा, बायें पैर के घुटने के पास दाहिने कुल्हे में चोटे

आई जिससे खून निकल आया और सुजन है। गुड्डीबाई और माखन की औरत विनीता ने उसे जमीन पर पटककर खचोर दिया व गुड्डीबाई ने पत्थर मारा जो दाहिने तरफ आंख के पास चोट लगकर सूजन आ गई। रामचरण और ज्ञानी यादव ने घटना देखी है। जब फरियादिया रिपोर्ट करने आने लगी तो आरोपीगण रोककर बोलने लगे कि अगर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झूठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 14.06.2017 को 11 बजे ग्राम चुरारी में आरोपी के मकान के सामने फरियादी दुर्गाबाई का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
2.	क्या अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक समय स्थान पर दुर्गाबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3.	क्या अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक समय स्थान पर दुर्गाबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
4.	क्या अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक समय स्थान पर दुर्गाबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित ?
5.	क्या अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

05— विचारणीय प्रश्न क्र० 1, 2 व 5 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने, एक ही घटना से संबंधित होने तथा विवेचना की सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादिया दुर्गाबाई अ०सा०३ का कहना है कि वह सभी आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब आठ सोढ़े

आठ साल पहले की रात के समय की होकर खेत की है जहां वह रहती है। फरियादी दुर्गाबाई ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि उसे त्रिलोक सिंह ने मादरचोद की गाली देकर कहा कि तुम मेरे घर पर क्यों आई हो। इसके अलावा अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त त्रिलोक या अन्य आरोपीगण द्वारा दुर्गाबाई को गाली दी हो।

06— आहत दुर्गाबाई ने त्रिलोक सिंह द्वारा गाली देना तो व्यक्त किया है किन्तु उक्त गाली से दुर्गाबाई को क्षोभ कारित हुआ हो ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अभियोजन साक्ष्य में ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे दर्शित हो कि आरोपीगण द्वारा दुर्गाबाई का रास्ता रोका गया था और उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी एवं उसे मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे क्षोभ कारित किया था, बल्कि दुर्गाबाई ने स्वयं अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में व्यक्त किया कि उसने गाली देकर आरोपीगण से कहा था कि वह उसके जानवर बांधने आई है। इस प्रकार यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर सूचनाकर्ता दुर्गाबाई अ0सा03 का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया, मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।

07— विचारणीय प्रश्न क्र० 3 व 4 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने, एक ही घटना से संबंधित होने तथा विवेचना की सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। फरियादी दुर्गाबाई अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 8 साढ़े 8 साल पहले की है। उसे अभियुक्त जुगराज ने लाठी मारी जिससे उसे पैर व पीठ में चोट आई। आरोपी त्रिलोक ने उसे कुल्हाड़ी से मारा जिससे उसे सिर में बांयी ओर चोट होकर टांके आए थे। उक्त घटना खिरयान की है, वह सिंचाई के पैसे जमा करने उसके घर से चंदेरी जा रही थी, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे तो एक बच्चे ने उसे पत्थर मार दिया था जो उसकी छाती में लगा था। उक्त बात जब दुर्गाबाई द्वारा उक्त बच्चे के घर जाकर बताई तो घर पर उपस्थित आरोपी विनीताबाई व गुड्डीबाई व त्रिलोक द्वारा दुर्गाबाई की हाथ-पैरों से मारपीट की। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने बताया कि यह बात सही है कि त्रिलोक के मकान के सामने जब झगडा हुआ था तब त्रिलोक ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी थी, उसी समय जुगराज ने लाठी से मारा था, स्वतः कहा कि गुड्डीबाई व विनीता बाई खींचकर अन्दर ले जा रही थी तथा इस बात को भी स्वीकार किया कि गुड्डीबाई ने उसे पत्थर से मारा था जो उसके आंख के पास लगा था। उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया कि उसने प्र.पी. 1 की रिपोर्ट की उक्त बातें थाने में लिखा दी थी तथा पुलिस को प्र.पी. 2 का नक्शामौका बनाते समय पुलिस को घटना स्थल बता दिया था।

08— दुर्गाबाई अ0सा03 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में व्यक्त किया कि यह

कहना सही है कि उसका और आरोपीगण का जमीन पर से विवाद चल रहा है तथा इस बात को भी सही बताया है कि झगडा पहले खेत पर हुआ था जब वह खेत पर थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आगे व्यक्त किया कि उसे पत्थर त्रिलोक की बेटी ने मारा था जिसके संबंध में वह आरोपीगण के घर बोलने गई थी। मिथलेश यादव अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 8 साल पहले की होकर दिन के 11 बजे की है। वह उसके घर की दहली पर थी, बच्चे खेल रहे थे तभी किसी बच्चे ने ईंट उठाकर मार दी थी जो उसकी मां दुर्गाबाई के पैर में लगी थी जिससे उसे चोट आ गई थी। जब उसकी मां ने पूछा की ईंट किसने मारी तो त्रिलोक आकर बोला अभी तो ईंट मारी थी अब मैं आकर बताता हूँ और इसके बाद त्रिलोक ने मेरी मां के सिर के मांथे पर कुल्हाड़ी मारी थी, इसके बाद तीनो लोग माखन, त्रिलोक व उसकी बहू एवं गड्डी मेरी मां को घसीटकर ले गये और कहने लगे कि चली जा रिपोर्ट करने। मिथलेश यादव अ0सा0 2 ने आगे उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना के बाद उसकी मां दुर्गाबाई रिपोर्ट करने गई थी और उसकी मां की डॉक्टरी हुई थी जिसमें उसे सिर में 7 टांके आए थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि वह घटना के समय मौके पर नहीं थी।

09— रैनाबाई अ0सा04 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है और फरियादिया उसकी बड़ी बहन है। उक्त साक्षी ने बताया कि उसे घटना के समय चिल्लाने की आवाज आई थी तब बच्चों ने उसे बताया था कि गुड्डीबाई उसकी बहू एवं लडकी दुर्गाबाई की मारपीट कर रही है। जब उसने घटना स्थल पर पहुँचकर देखा तो दुर्गाबाई के सिर से खून निकल रहा था और गाँव के बहुत से लोग वह इकट्ठा थे। उक्त साक्षी ने बताया कि जब वह घटना स्थल पर पहुँची तब झगडा हो चुका था और घटना स्थल पर उसे पता चला था कि दुर्गाबाई को त्रिलोक सिंह ने मारा है।

10— उदल सिंह अ0सा05 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण एवं फरियादी को जानता है, फरियादी दुर्गाबाई उसकी मां है। उक्त साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन कर व्यक्त किया कि दुर्गाबाई को त्रिलोक सिंह, गुड्डीबाई, बबीता मिली थी और कौन था उसे याद नहीं है। मेरी मां त्रिलोक के घर बच्चों द्वारा ईंट मारने की कहने गई थी तो त्रिलोक सिंह ने मेरी मां को लाठी एवं कुल्हाड़ी से मारा था जिससे उसके सिर में चोट लगकर टांके आए थे और गुड्डीबाई व विनीता उसकी मां को खिंचकर रास्ते की ओर ले गये थे जिससे मां को कुल्हे, पीठ व घुटने में चोट आई थी। उदल सिंह अ0सा05 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि घटना के समय वह स्कूल गया था लेकिन जब उसे घटना के बारे में पता चला तब वह स्कूल से घटना स्थल पर आया जहां त्रिलोक कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में व्यक्त किया कि उसका स्कूल साढ़े 10 बजे से लगता था और वह उसकी हाजरी लगवाकर घटना हो जाने से उसके घर आ गया था। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी ज्ञान सिंह अ0सा07, रामचरण

अ0सा08 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया। अतः उक्त दोनो साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

11— शिवमंगल सिंह सेंगर अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 14.06.2007 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी दुर्गाबाई ने आरोप त्रिलोक सिंह, जुगराज, गुड्डीबाई और माखन की औरत के विरुद्ध गाली देने, रास्ता रोकने, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट कराई थी जो साक्षी द्वारा फरियादी दुर्गाबाई के बताए अनुसार लेखबद्ध होना व्यक्त किया। उक्त रिपोर्ट प्र.पी. 1 है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि प्र.पी. 1 की रिपोर्ट उसकी हस्तलिपि में है और बचाव पक्ष के इस सुझाब को अस्वीकार किया कि उसने फरियादी के बताए अनुसार रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं की थी।

12— प्रकरण में विवेचना अधिकारी कमलेश शर्मा की मृत्यु हो जाने से उनकी हस्तलिपि और हस्ताक्षर से परिचित साक्षी मिट्ठूलाल अ0सा09 ने उनके न्यायालयीन कथनो में बताया कि उसके द्वारा थाना चंदेरी में मृतक कमलेश शर्मा के साथ वर्ष 2007 में थाना चंदेरी में लगभग 1 साल तक कार्य किया है। प्र.पी. 2 का नक्शामौका सहायक उप निरीक्षक कमलेश शर्मा की हस्तलिपि में है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी दुर्गाबाई, उदल सिंह, मिथलेश, ज्ञानसिंह, रामचरण भानूप्रताप एवं रैनाबाई के कथन एएसआई कमलेश शर्मा की हस्तलिपि में है जिनपर उनके हस्ताक्षर है। प्र.पी. 6 एवं 7 के गिरफ्तारी पंचनामे के ए से ए भाग पर मृतक कमलेश शर्मा के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि यह बात सही है कि कमलेश शर्मा द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये है अथवा नहीं वह नहीं बता सकता तथा यह भी नहीं बता सकता कि कमलेश शर्मा द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना थाने पर की गई थी अथवा नहीं।

13— अभियोजन साक्ष्य में फरियादी/आहत दुर्गाबाई अ0सा03 के कथनो का समर्थन मिथलेश यादव अ0सा02, रैनाबाई अ0सा04, उदल सिंह अ0सा05 ने उनके न्यायालयीन कथनो में अभियोजन घटना को स्पष्ट किया है कि आरोपी त्रिलोक द्वारा दुर्गाबाई को कुल्हाडी से मारा था जिससे उसके सिर में बांयी ओर चोट होकर टांके आए थे, अभियुक्त जुगराज ने दुर्गाबाई को लाठी से मारपीट की थी, जिससे फरियादी दुर्गाबाई के पैर व पीठ में चोट आई थी और अभियुक्त गुड्डीबाई व विनीताबाई ने दुर्गाबाई के साथ मारपीट करना व्यक्त किया है। जहां तक प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य स्थापित हुआ है कि आहत दुर्गाबाई ने का अभियुक्तगण से जमीन के विवाद को लेकर रंजिश है, किन्तु मात्र इस आधार पर उसके अभिसाक्ष्य को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। अभियोजन द्वारा दुर्गाबाई अ0सा03 को पक्ष विरोधी घोषित करने के उपरांत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन के समस्त घटना क्रम को स्वीकार किया है और इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में अन्य कोई प्रतिकूलता नहीं है जिससे इस साक्षी को कथनो पर अवशिवास किया जा सके।

14— बचाव पक्ष के विद्यमान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान व्यक्त किया कि प्रत्यक्ष साक्षी जिन्होंने घटना का समर्थन किया है वे फरियादी दुर्गाबाई के रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई साक्षी आहत या फरियादी का रिश्तेदार है न तो इस आधार पर उसकी सम्पूर्ण साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता, बल्कि निकट के रिश्तेदार की साक्ष्य यदि सावधानी पूर्वक छानवीन कर विश्वास योग्य पाई जाती है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन रिश्तेदारी साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भागालाल लोधी वि० स्टेट ऑफ यूपी एआईआर 2011 एससी 2292, वीरेन्द्र पोद्दार वि० स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर 2011 एस.सी. 233, सीमन उर्फ वीरमन वि० स्टेट "2005" 11 एस.सी.सी 142** अवलोकनीय है।

15— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में आहत दुर्गाबाई अ०सा०३ ने घटना के तत्काल पश्चात प्र.पी.१ की रिपोर्ट करना कथित करती है। शिवमंगल सिंह सैंगर अ०सा०१ द्वारा उक्त कथन की पुष्टि की है कि उसने आहत दुर्गाबाई के बताए अनुसार प्र.पी.१ की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। आहत दुर्गाबाई अ०सा०३ ने कथित घटना में उसके सिर में बांयी ओर चोट होना व पैर व पीठ में चोटे होना व्यक्त किया है। चिकित्सीय साक्षी डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०६ ने व्यक्त किया कि उसने आहत दुर्गाबाई की चोटों का परीक्षण किया था जिसमें उसके सिर के बांयी फ्रेंटो पैराइटल भाग पर एक कटा हुआ घाव पाया था और छिला हुआ निशान, नीलगू निशान दाहिने गाल, बांयी उपरी भूजा, पीठ के मध्य में बांय घुटने पर एवं गर्दन के पीछे होना पाया था। इस तरह आहत दुर्गाबाई के शरीर पर जो चोटे होना साक्षी ने व्यक्त किया उसका समर्थन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होता है। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक डॉ. एस.पी. सिद्धार्थ इस प्रकार के सुझाव को स्वीकार करता है कि आहत को आई चोट क० २ लगायत ७ पथरिले सतह पर गिरने से आ सकती है। किन्तु इस प्रकार का सुझाव आहत के प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है तथा प्रतिपरीक्षण में डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ ने इस बात को स्वीकार किया कि चोट क० १ कुल्हाड़ी से आ सकती है। इस प्रकार आहत को आई हुई चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है।

16— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्तानुसार साक्ष्य में यद्यपि घटना के साक्षी ज्ञानसिंह एवं रामचरण ने घटना का समर्थन नहीं किया है किन्तु आहत दुर्गाबाई एवं अन्य साक्षीगण द्वारा कथित घटना को स्पष्ट किया है कि घटना स्थल पर आरोपीगण द्वारा एक साथ उपस्थित होना और मारपीट करना उनके सामान्य आशय को परिलक्षित करता है। म०प्र० शासन बनाम हमीम खां १९९९ "२" जेएलजेपी-३१० में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि यदि आहत को आई हुई चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है तो ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है।

17— उपरोक्तानुसार किये गये विचारणीय बिन्दुओं पर विश्लेषण के आधार पर

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 294, 506 भाग दो भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाता है। परन्तु आरोपीगण के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि उन्होंने घटना के समय आहत दुर्गाबाई की एक साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया है जिसके अग्रसरण में उसकी मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं धारदार अस्त्र से भी मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। परिणामस्वरूप आरोपीगण को धारा 323/34, 324/34 भा0द0वि0 के अपराध में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

18— दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु कुछ देर के लिये स्थगित किया जाता है।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्च:—

19— बचाव पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रथम अपराध एवं उनके निर्धन होने को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया, जबकि अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया। प्रकरण के तथ्य, आहत को आई चोटो एवं अभियुक्तगण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त	धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सश्रम कारावास
त्रिलोक सिंह	324 / 34	6 माह	500 / —	15 दिन
	323 / 34	3 माह	200 / —	7 दिन
जुगराज	324 / 34	6 माह	500 / —	15 दिन
	323 / 34	3 माह	200 / —	7 दिन
गुड्डी बाई	324 / 34	6 माह	500 / —	15 दिन
	323 / 34	3 माह	200 / —	7 दिन
विनीता बाई	324 / 34	6 माह	500 / —	15 दिन
	323 / 34	3 माह	200 / —	7 दिन

प्रत्येक आरोपीगण की दोनो सजाएं साथ—साथ चलेंगी ।

20— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

21— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

22— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0